राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सूचना के विनियम

क्रमांक सचिव/रा.रा.वि.आ/रेगु/14 दिनांक **28.3.2003**

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(राराविआ), राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999-धारा 57 द्वारा प्राप्त प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं आयोग सलाहकार समिति, लाईसेन्सधारी एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श के उपरान्त ,उन परिस्थितियों से संबधित विनियमों की, जिसमें लाइसेन्सधारी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सूचना देगा, संरचना करता हैं ।'

1. लघु शीर्षक

ये विनियम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता को उनके अधिकारों की सूचना) विनियम -2003 कहलायेगें ।

2. परिभाषायें :-

(क) इस अधिकार-पत्र में , इस संदर्भ में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) ''अधिनियम'' का अभिप्राय राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम -1999 (1999के 23वें अधिनियम)से होगा ।

(ii) ''अधिकार पत्र'' का अभिप्राय इस दस्तावेज से होगा ।

(iii) ''वितरण लाइसेन्सधारी'' का अभिप्राय अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत जारी किए गए वितरण अनुज्ञा पत्र धारी जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य वितरण लाइसेन्सधारी से होगा ।

(iv) विद्युत प्रदाय अधिनियम'' का अभिप्राय विद्युत (प्रदाय)अधिनियम -1948 से होगा।

(v) ''जी.सी.एस.' का अभिप्राय लाइसेन्सधारी की ' विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सामान्य शर्तो तथा विविध प्रभारों के मापदण्ड' से होगा ।

(vi) ''आई.ई एक्ट ''का अभिप्राय भारतीय विद्युत अधिनियम -1910 से होगा ।

यह मूल आदेश का हिन्दी का अनुवाद हैं, व्याख्या में अन्तर होने पर अग्रेजी आदेश की व्याख्या ही विधि मान्य होगी ।

(vii) आई.ई रूल्स का अभिप्राय भारतीय विद्युत नियम -1956 से होगा ।

(viii) ''भावी उपभोक्ता'' का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जिसने विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन कर दिया है या जो आवेदन करने की भावना (इच्छा)रखता है।

(ix) ''आर ई आर सी '' का अभिप्राय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से होगा।

(x) ''एस ओ पी '' का अभिप्राय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेन्सधारी की कार्यदक्षता के मापदण्ड) विनियम 2003 से होगा ।

(ख) जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , इस अधिकार -पत्र में आने वाले शब्दों तथा अभिव्यक्तियों , जिन्हें यहॉ विशेष रूप से परिभाषित नही किया गया है , का अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है और उसमें न दिए होने पर भारतीय विद्युत अधिनियम, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम भारतीय विद्युत नियम , सम्बद्ध विनियम या आमतौर पर विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में समझा जाता है , से होगा ।

(3) सेवा तथा शुल्क सूची

(i) लाइसेन्सधारी, सुरक्षित , विश्वसनीय तथा दक्षतापूर्वक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायेगा । आपूर्ति अधिनियम , भारतीय विद्युत अधिनियम , भारतीय विद्युत नियम तथा कार्य दक्षता के मानक एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सामान्य शर्तो के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।

(ii) बिना भेदभाव पूर्ण तरीके से की गयी विद्युतापूर्ति रा.वि.वि.आयोग द्वारा शुल्क सूची (टैरिफ) का विनिश्चय करते समय ध्यान में रखी जाएगी । लाइसेन्सधारी उपभोक्ता या भावी उपभोक्ता को नए विद्युत सम्बन्ध / सम्बन्ध भार / संविदामॉग में वृद्धि /कमी विद्युत सम्बन्ध के स्थान परिवर्तन या विद्युत सम्बन्ध के स्थानान्तरण हेतु आवेदन के लिए आवेदन-पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा ।

(iii) आपूर्ति की शर्ते तथा निबन्धन तथा उससे सम्बन्धित विविध प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति की सामान्य शर्तो से शासित होंगी ।

4. विच्छेदन :-

निम्नलिखित में से किसी भी कारण से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किए जाने से पूर्व निम्नानुसार न्यूनतम अवधि का नोटिस प्राप्त करने का उपभोक्ता का अधिकार होगा :-

क्रम संख्या	विवरण	नोटिस अवधि
1.	लाइसेन्सधारी की पूर्व स्वीकृति के बिना उपभोक्ता द्वारा उसकी	7 स्पष्ट दिवस

क्रम संख्या	विवरण	नोटिस अवधि
	अधिष्ठापना में परिवर्तन या परिवर्द्धन किया जाना ।	
2.	विद्युत आपूर्ति का दुरूप्योग या लाइसेन्सधारी द्वारा किसी पुराने या दोषपूर्ण मीटर को बदले जाने पर उपभोक्ता द्वारा प्रतिरोध करना ।	7 स्पष्ट दिवस
3.	विद्युत प्रभारों या अन्य प्रभारों के भुगतान में दोषी	7 स्पष्ट दिवस
4.	जहॉ मीटर उपभोक्ता की सम्पत्ति है तो मीटर को सही / चालू स्थिति में रखने में विफल रहना ।	7 स्पष्ट दिवस
5.	विद्युत निरीक्षक के (शुल्क नोटिस में अंकित तिथि को या उससे पूर्व) निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहना ।	7 स्पष्ट दिवस
6.	लाइसेन्सधारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षमता का संधारित्र (केपेसिटर) अधिष्ठापित करने में विफल रहना ।	7 स्पष्ट दिवस
7.	अधिष्ठापना का औसत शक्तिघटक (पावर फैक्टर) 0.70 से कम है , मोटर का शुरूआती करन्ट विनिर्दिष्ट से अधिक है या स्टार्टर नहीं लगाया गया है या लगाया गया स्टार्टर लाइसेन्सधारी द्वारा विनिर्दिष्टानुसार नहीं है ।	7 स्पष्ट दिवस
8.	परिमित सीमाओं से परे, तीन फेज का भार असंतुलित है ,या	7 स्पष्ट दिवस
9.	कोई ऐसी वैद्युत अधिष्ठापना रखता है जो निरीक्षण तथा / या परीक्षण पर दोषपूर्ण पायी जाती है या विद्युतापूर्ति की सामान्य शर्तो या वितरण कोड के अनुरूप नहीं पायी जाती है ।	7 स्पष्ट दिवस
10.	ऐसे यन्त्र का प्रयोग जिससे एक फेस का विभाजन तीन फेसों में हो जब कि तीन फेस आपूर्ति प्रतिबन्धित हो	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
11.	किसी कम टैरिफ पर आपूरित विद्युत का किसी ऐसे प्रयोजन से उपभोग जिसके लिये ज्यादा टैरिफ प्रयोज्य है ।	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
12.	घरेलू सेवा, लघु औद्योगिक सेवा, मध्यम औद्योगिक सेवा, या मिश्रित भार हेतु वृहदापूर्ति की श्रेणियों मे ं आने वाले उपभोक्ता द्वारा संविदित या स्वीकृत सम्बद्ध भार में 50 प्रतिशत से अधिक अनाधिकृत वृद्धि ।	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
13.	जहॉ दुरूपयोग की कार्यवाही हो रही हो यथा किसी अन्य परिसर को अनाधिकृत अभिवृद्धि से विद्युतापूर्ति या उसी परिसर में किसी अन्य उपभोक्ता को विद्युतापूर्ति की है तो	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
14.	जहॉ उपाबन्ध -6 के अन्तर्गत निरीक्षण पर विद्युत प्रवाह रोधन इतना कम पाया जाए कि विद्युत के सुरक्षित प्रयोग को बाधित करे तो	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस

क्रम संख्या	विवरण	नोटिस अवधि
15.	स्वयं विद्युत आपूर्ति का अवैध पुनर्संयोजन करता है	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
16.	किसी विच्छेदित उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति करता है	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
17.	विद्युत का पुनर्विक्रय करता है	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
18.	कदाचार की कार्यवाही में संलग्न रहता है	48 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
19.	किसी ऐसे वैद्युत उपकरण की अधिष्ठापना कर लेता है जिससे अन्य उपभोक्तओं की विद्युतापूर्ति, हानिकर प्रभावित होती है , या	24 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
20.	आपूरित विद्युत को इस प्रकार से अनुचित रूप से प्रयोग में लेता है जिससे लाइसेन्सधारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दक्ष विद्युतापूर्ति बाधित होती है	24 घण्टों का स्पष्ट नोटिस
21.	निम्नलिखित दशाओं में कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा – 1. उपभोक्ता सर्विस लाइन या मीटर या मीटरिंग उपकरण या मीटर अधिष्ठापना के साथ छेड़खानी करता है 2. विद्युत के अनुचित , अनाधिकृत , उपभोग या अपाकर्षण , या प्रयोग में संलिप्त पाया जाता है ,या 3. शिखर घण्टों के दौरान विद्युत उपभोग पर लगाए गए प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों की अवहेलना करता है तो विद्युत सम्बन्ध पहले दोष पर 24 घन्टें , दूसरे पर 48 घंटे तथा तीसरे पर 96 घंटे के लिए विच्छेदित किया जायेगा ।	कोई नोटिस नहीं

(5) उपभोक्ता परिसर में प्रवेश का नोटिस

निम्न प्रयोजनार्थ लाइसेन्सधारी के प्रतिनिधि के उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश के आशय की सूचना उपभोक्ता को दी जानी होगी :-

(i) लाइसेन्सधारी के उपकरणों के निरीक्षण,परीक्षण मरम्मत या परिवर्तन करने ,

ii) मीटरों के पठन करने तथा आपूरित विद्युत की राशि का निश्चय करने या उपभोक्ता की
अधिष्ठापना के सम्बद्ध भार की जानकारी करने

iii) लाइसेन्सधारी की लाइन , मीटरों तथा अन्य उपकरणों को हटाने ।

iv) विद्युत के प्रयोग में लाये जा रहे उपभोक्ता के विद्युत तारों , फिटिंग्स , कार्यो तथा उपकरणों के निरीक्षण तथा परीक्षण करने हेतु

v) उपभोक्ताओं को समुचित अनवरत् आपूर्ति के सम्बन्ध में संधारण सम्बन्धी किसी कार्यवाही का निष्पादन करना।

(6) अधिष्ठापना में नि:सरण तथा त्रुटि का नोटिस :-

यदि वैद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी को यह विश्वास हो जाए कि उपभोक्ता की प्रणाली में नि:सरण है, जिससे आपूर्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत का प्रयोग हानिकर संभाव्य है या जिससे खतरे का कारक संभाव्य है, तो उपभोक्ता को इस आशय का एक लिखित नोटिस दिया जायेगा जिसकी अधिष्ठापना का निरीक्षण एवं परीक्षण प्रस्तावित है ।

(7) उपभोक्ताओं के पुन:वर्गीकरण का नोटिस :-

i) यदि विद्युत के प्रयोग के प्रयोजन के आधार पर लाइसेन्सधारी द्वारा उपभोक्ता को पुनवर्गीकृत किया जाना मन्तव्यित है तो उपभोक्ता को इस आशय का एक नोटिस दिया जाएगा ताकि उपभोक्ता परिवर्तित वर्गीकरण के आधार पर अनुबन्ध -पत्र निष्पादित कर सके ।

ii) इस नोटिस में यह उल्लेख होगा कि यदि उपभोक्ता नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में अपेक्षित कार्यवाही नहीं करता है तो लाइसेन्सधारी विद्युतापूर्ति बन्द कर सकता है ।

8) अनुसूचित विद्युतापूर्ति बन्द किए जाने का नोटिस :-

i) लाइसेन्सधारी द्वारा अनुसूचित विद्युतापूर्ति बन्द रखे जाने का नोटिस जो 24 घंटे पहले की अवधि से कम न होगा, समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया / दूरभाष द्वारा दिया जाएगा ।

ii) अन्य कारणों के लिए नोटिस , की एक प्रति उपभोक्ता या उसी परिसर में रहने वाले / कार्यरत् किसी वयस्क सदस्य को सुपुर्द की जाएगी ।

9) मीटरों की यर्थाथता :-

मीटरों की यर्थाथता ''मीटरिंग कोड '' के अनुसार होगी । मीटर(रों) की यर्थाथता सम्बन्धी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता एक दूसरे पक्ष को भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा - 26 के अन्तर्गत मीटर के , लाइसेन्सधारी या वैद्युत निरीक्षक द्वारा परीक्षण का नोटिस दे सकता है । मीटर का परीक्षण ,आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान कर दिए जाने पर वैद्युत निरीक्षक की सहमति से निर्णीत किए जाने वाले किसी आई एस ओ प्रमाणित केन्द्र पर उपभोक्ता के विकल्प पर करवाया जा सकता है ।

10) विमुक्ति

जहॉ उपभोक्ता की अधिष्ठापना से लाइसेन्सधारी के कर्मचारियों या जन सामान्य के स्वास्थ्य या सुरक्षा को तथा ७फोर्स मैज्योर७ ;थ्वतबम डंरमनतमद्ध परिस्थितियों में खतरा प्रकट होता हो तो लाइसेन्सधारी को इन विनियमों के अन्तर्गत नोटिस दिए जाने की आवश्यकता से मुक्त किया जा सकता है ।

11) विद्युत सम्बन्ध का स्थानान्तरण

कोई उपभोक्ता विद्युत सम्बन्ध को एक परिसर सें दूसरी परिसर में स्थानान्तरित करने के लिए अनुरोध कर सकता है या किसी उपभोक्ता / व्यक्ति जिसने विच्छेदित परिसर को क्रय कर लिया है, के विद्युत सम्बन्ध को अपने नाम से स्थानान्तरित करने का अनुरोध कर सकता है । ऐसा स्थानान्तरण लाइसेन्सधारी द्वारा कदाचार या काल्पनिक स्थानान्तरण को रोकने हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा ।

शिकायत निवारण

12) निष्पादन के मानक :-

उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निपटारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेन्स के कार्य दक्षता के मापदण्ड) विनियम -2003 में विहित रीति से किया जायेगा ।

13) आपूर्ति हेतु आवेदन :-

यदि किसी व्यक्ति द्वारा नए विद्युत सम्बन्ध /विद्यमान सम्बद्धभार में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है और ऐसे नए विद्युत सम्बन्ध के लिए सभी औपचारिकतायें पूर्ण

करने के साथ-साथ प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है , परन्तु लाइसेन्सधारी द्वारा विहित समयावधि में विद्युतापूर्ति चालू नहीं की जाती है तो वह व्यक्ति लाइसेन्सधारी के शिकायत प्रकोष्ठ में परिवाद दर्ज करा सकता है ।

14) सूचनाओं/प्रकाशन आदि की आपूर्ति :-

लाइसेन्सधारी अपने प्रधान कार्यालय तथा सभी वृत्त कार्यालयों पर, (यदि कोई संशोधन हो तो उन सहित), निम्नलिखित प्रकाशन किसी उपभोक्ता / व्यक्ति द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध करायेगा और उसके द्वारा चाहे जाने पर 2 /- रू प्रति पेज या मुद्रित मूल्य पर भुगतान करने पर तीन कार्यदिवस के अन्दर-अन्दर प्रदान करेगा

(i) विद्युत अपूर्ति की शुल्क सूची
(ii) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सामान्य शर्ते
(iii) मीटरिंग कोड/वितरण कोड
(iv) सुरक्षा मानक
(v) वितरण अनुज्ञा-पत्र
(vi) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का शुल्क सूची आदेश
(vii) निष्पादन के मानक तथा परिवादों के निपटारे की प्रविधि
(viii) कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा साख्यिकी
(ix) कम्पनी के संक्षिप्त वार्षिक लेखें
(x) लाइसेन्सधारी द्वारा जनहित में जारी की गयी कोई भी पुस्तिका, फोल्डर ,पर्चे ,जनसाधरण सूचना आदि ।
(xi) भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 22,22बी 27 तथा 30 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश/आदेश
(xii) ये विनियम ।

जिन प्रकाशनों का उपभोक्ताओं से सीधा सम्बन्ध हो जैसे **(i), (ii), (iv), (vii), (x), (xii)** वे सहायक अभिन्यता कार्यालयों में भी उपलब्ध होगें ।

उपरोक्त प्रकाशनों में लाइसेन्सधारी द्वारा प्रकाशित उपरोक्त दस्तावेजों के, विशेषकर नये विद्युत संबधों की स्वीकृति से संबन्धित, उपदस्तावेज/सारांश भी सम्मिलित हैं ।

(15) <u>लाइसेन्सधारी द्वारा निष्पादित कार्य :-</u>

(i) यदि कोई व्यक्ति किसी योजना मे रूचि रखता है या उससे प्रभावित होता है जिसमें पूँजी निवेश केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा -29(1) के अन्तर्गत नियत सीमा से अधिक है और जिसे लाइसेन्सधारी ने धारा 29(2) के

अन्तर्गत शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित कर दिया है , तो वह तथाकथित राजपत्र में विहित अवधि में योजना के विरूद्ध अभ्यावेदन कर सकता है । ऐसी अवधि दो माह से कम की नहीं होगी ।

(ii) जब कभी निरीक्षण ,परीक्षण , मरम्मत या विद्युतापूर्ति लाइनों , मीटर फिटिंग कार्य या लाइसेन्सधारी के स्वामित्वों के उपकरणो के परिवर्तन ,पारेषण लाइनों या मुख्य पारेषण लाइनों के विधिक रूप से उपयोग या सर्वे करने ,अधिकारों के प्रयोग की जॉच या अनुसंधान या लाइसेन्सधारी के कर्तव्यों के निर्वहन तथा

(क) आपूरित विद्युत की राशि का विनिश्चयन करने ,या

(ख) जहॉ विद्युतापूर्ति की आगे आवश्यकता नहीं है या जहॉ लाइसेन्सधारी विद्युतापूर्ति काटने , लाइसेन्सधारी के स्वामित्व की विद्युतापूर्ति लाइन ,मीटर्स ,फिटिंग्स, कार्य उपस्करों को हटाने के लिए अधिकृत है , के प्रयोजन से लाइसेन्सधारी का अधिकारी या कर्मचारी किसी भूमि या परिसर में प्रवेश करता है तो परिसर के स्वामी या कब्जेदार या उसके प्रतिनिधि , जो भी स्थल पर उपलब्ध है , को स्थल पर ही इस आशय की वैयक्तिक रूप से पूर्व सूचना देनी होगी ।

(iii) लाइसेन्सधारी द्वारा उस परिसर के स्वामी या कब्जाधारी से सहमति लेनी होगी या फिर आ□. □. एक्ट की धारा 12 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने होगें, जिसमें होकर कोई विद्युत लाइन डालनी है या जिसमें अन्य कोई कार्य करना है या किसी भवन के सामने या उस पर अथवा किसी भूमि जो सार्वजनिक उद्देश्य विशेष के लिए समर्पित नहीं है के ऊपर या नीचे होकर विद्युत लाइन पहले से लाइसेन्सधारी या इसे पूर्वाधिकारी द्वारा नहीं खींची है या कार्य स्थापित नहीं किया है ।

16) लाइनों का परिवर्तन या स्थान परिवर्तन

यदि कोई उपभोक्ता या व्यक्ति लाइसेन्सधारी द्वारा भारतीय विद्युत नियमों के अन्तर्गत जारी किए गए परिर्वतन की लागत के प्राक्कलन के बारे में या ऐसी अनुमानित लागत के भुगतान के उत्तरदायित्व के बारे में विवाद उत्पन्न करता है तो वह उक्त मामला वैद्युत निरीक्षक को निर्दिष्ट कर सकता है ।

17) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

कोई भी उपभोक्ता , लाइसेन्सधारी के किसी भी प्रकार के सेवा दोष के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत शिकायत कर सकता है । लाइसेन्सधारी राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 से शासित होगा । इस अधिनियम की मुख्य-2 धारायों का सारांश इन विनियमों के साथ परिशिष्ट -1 पर संलग्न हैं । उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 पर में वर्णित कार्यालय के भारसाधक

व नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्यशील पदों को संबधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जावेगा ।

18) निष्पादन

आवश्यकता हुई तो आयोग स्वतंत्र संस्थाओं से दक्षता के मानकों व उपभोक्ता अधिकारों के विनयमों के निष्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

आयोग के आदेश से ,

सचिव

परिशिष्ट–1

राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 की मुख्य–मुख्य धारों का सारांश

1. परिभाषाएं :– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (i) नियंत्रक अधिकारी' से कार्यालय के भारसाधक के ऊपर का ऐसा अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी, जो कार्यालय के भारासाधक के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता हैं, या ऐसा अधिकारी,जिसे समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट किया जाये, अभिप्रेत हैं ।

   (ii) कार्यालय कर भारसाधक' से राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी लोक निकाय का ऐसा कोई अधिकारी/कृत्यकारी, जिसका राज्य सरकार या,यथास्थिति, लोक निकाय के किसी भी कार्यालय पर वास्तविक नियंत्रण है या ऐसा अधिकारी/कृत्यकारी जो, समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उस रूप में विनिर्दिष्ट किया जाये, अभिप्रेत हैं ।

   (iii) सूचना' से राज्य या किसी लोक निकाय के कार्यकलापों से संबधित कोई भी सामग्री का सूचना अभिप्रेत हैं

2. सूचना का अधिकार :–

   इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन, प्रत्येक नागरिक की कार्यालय के भारसाधक से सूचना अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा और ऐसा भारसाधक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार सूचना उपलब्ध कराने का दायी होगा ।

3. सूचना के प्रदाय के लिए प्रक्रिया :–

(1) सूचना चाहने वाला कोई भी व्यक्ति कार्यालय के भारसाधक को ऐसे मामले की, जिसके बारे में सूचना चाही गयी है, विशिष्टियां देते हुए आवेदन करेगा ।

(2) उप धारा (प) के आधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर कार्यालय का भारसाधक उस पर विचार करेगा और यदि सूचना ऐसी है जो उपलब्ध करायी जा सकती है और धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कोटियों में नहीं आती है तो कार्यालय का भारसाधक उप धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर–भीतर सूचना उपलब्ध करायेगा ।

(3) जहाँ आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट निर्बाधित कोटियों में आती हो, वहां कार्यालय का भारसाधक सूचना उपलब्ध कराने से इन्कार कर देगा और

उप धारा (1) के अधीन आवेदन द्वारा होने की तारीख से तीस दिन के भीतर - भीतर आवेदक को अपना विनिश्चय संसूचित करेगा ।

(4) चाही गई सूचना जिस रूप में उपलब्ध है, उसी रूप में नकल करके या फोटो कॉपी करके उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

(5) सूचना, उस कार्यालय के, जहॉ से सूचना उद्‌भूत हुई है या जहाँ कोई अभिलेख साधारणतः रखा या निक्षिप्त किया जाता है भारसाधक से मांगी और उसके द्वारा दी जा सकेगी ।

4. प्रथम अपील :- (1) कार्यालय के भारसाधक के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 4 के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, नियंत्रक अधिकारी को अपील कर सकेगा ।

परन्तु अपील करने वाले व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नही किया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(2) प्रत्येक अपील शीघ्रता से सुनी और विनिश्चत की की जायेगी और अपील प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अवश्य निपटा दी जायोगी ।

(3) अपील के साथ धारा 8 के अनसार उपबंधित रीति से निक्षिप्त या निविदत्त फीस का सबूत संलग्न किया जायेगा ।

5. द्वितीय अपील :- (1) कोई भी व्यक्ति :-

(1) जो ऐसे नियंत्रक अधिकारी के, जो जिला स्तरीय अधिकारी से ऊपर की रैक का नहीं है, आदेश से व्यथित हैं, संबधित जिले की सतर्कता समिति की अपील कर सकेगा ।

(2) जो खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न नियंत्रक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, राजस्थान सिविल सेवा(सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976(1976 का अधिनियम सं. 34) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील करने वाले व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(2) प्रत्येक अपील शीघ्रता से सुनी और विनिश्चत की जायोगी और अपील प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अवश्य निपटा दी जायेगी ।

(3) अपील के साथ धारा 8 के अनुसार उपबंधित रीति से निक्षिप्त या निविदत्त फीस का सबूत संलग्न किया जायेगा ।

6. अपील कार्यालय के भारसाधक की बाध्यता:- प्रत्येक कार्यालय के भारसाधक का, सुसंगत विधि या विभागीय नियमावली में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, समस्त अभिलेख संधारित करने का कर्त्तव्य होगा ।

इस अधिनियम के अधीन कोई भी सूचना उपलब्ध के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सूचना देने के लिए व्यक्तिः दायी होगा ।

7. शास्तियां :- जहॉ इस अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन किसी भी नागरिक द्वारा चाही गयी सूचना विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर देने में, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, असफल रहता है या कोई भी ऐसी सूचना देता है, जो किन्ही तात्विक विशिष्टियों के संबंध में मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है और यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण रखता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वहां वह, ऐसी जांच के पश्चात् जो उस पर लागू अनुशासनात्मक कारवाही से संबंधित सेवा नियमों के अधीन अपेक्षित है, ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी होगा, जो ऐसे नियमों के अधीन अनुशासानिक प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायें ।

8. सूचना के अधिकार पर निर्बन्धन-

कार्यालय का भारसाधक, लेखबद्ध किये जाने वाले धारा 5 में वार्णित कारणों से, सूचना को रोक सकेगा ।